झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची–01–12 / 2019 .... / राँची, दिनांकः ....

आदेश

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची का ज्ञाप सं०– 2154 दिनांक– 06.08.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री मनोज कुमार विद्यार्थी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं०–08 / 19 U/S-7 (ए) भ्र०नि०(संशोधित) अधि० 2018 के तहत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ए०सी०बी० चाईबासा के न्यायालय में प्रतिप्रेषित कराकर दिनांक– 21.07.2019 को मंडल कारा चाईबासा में संसीमित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री विद्यार्थी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 21.07.2019 के प्रभाव से झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 नियम– (9)(2)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री विद्यार्थी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह० / –
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ......4773...................... राँची / दिनांक 29/08/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रांची / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा / उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड,रांची / श्री मनोज कुमार विद्यार्थी, कार्यपालक अभियंता, (ID-J7746) निलंबित, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव